तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2600/2022/दौसा** नाथी बनाम रामकन्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री शैलेन्द्र राणा, अधिवक्ता प्रार्थी ।

—

निर्णय

दिनांकः—07.06.2022

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विद्वान भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा मुख्यालय जयपुर द्वारा अपील संख्या 69/2017 बउनवान नाथी बनाम कल्ली में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र तथा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीया/निगरानीकर्ता ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैत्रक आराजियात है जिसमें वादिया/प्रार्थिया का 1/3 हिस्सा निहित है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने संपूर्ण आराजियात अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है । उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा ने वादिया का वाद दिनांक 12.05.2017 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2600/2022/दौसा** नाथी बनाम रामकन्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादिया/प्रार्थिया ने प्रथम अपील विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा मुख्यालय जिला जयपुर के समक्ष के समक्ष पेश की जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 03.07.2017 को स्थगन आदेश जारी करते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए किन्तु दिनांक 11.05.2022 के जरिये पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जो विधि विरूद्ध है । अपीलीय न्यायालय का आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश है जो विधिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया द्वारा दिनांक 10.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये गये तथा पत्रावली तामील इंतजार में नियत की गई । दिनांक 04.06.2021 को अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 के रजिस्टर्ड नोटिस सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए तथा पत्रावली आगामी पेशियों पर नियत होती रही । दिनांक 22.9.2021 तथा 27.10.2021 की आदेशिका द्वारा प्रार्थिया/अपीलांट को सही पते के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने की न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई तथा दिनांक 15.12.2021 को अप्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 2 के रजिस्टर्ड पेश किये तथा वास्ते तलबी हेतु नियत की गई । उक्त दिनांक को ही श्री रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 20 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर वकालतनामा पेश किया गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना मात्र सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 11.5. 2022 को पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय को समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिये था। माननीय न्यायालय में धारा 221 राज0काश्त0अधि0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2600/2022/दौसा** नाथी बनाम रामकन्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निहित है जिसका प्रयोग प्रकरण में किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है । अतः निगरानी विचारार्थ ग्रहण की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 69/2017 में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें । हमनें विद्वान अभिभाषक प्रार्थिाय/निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । प्रार्थिया/निगरानीकर्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा के निर्णय दिनांक 12.5.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा मुख्यालय जयपुर के समक्ष पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 03.7.20217 को स्थगन आदेश जारी करते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए थे । तत्पश्चात् पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामील में चलती रही । अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलांट को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई किन्तु अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक वर्ष की अवधि उपरांत भी प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण के सही पते के रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश नहीं किये जाने से अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 3.7.2017 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थिया को सही पते के रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश करने की हिदायत देकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत की है । आदेश दिनांक 11.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण की तामील होना शेष है । अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05. 2022 अंतरिम आदेश होने से ऐसे आदेश के विरूद्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2600/2022/दौसा** नाथी बनाम रामकन्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत निगरानी संधारणीय नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश किये जाने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा मुख्यालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.5.2022 यथावत् रखा जाता है । न्यायहित में अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को आववश्यक रूप से दो माह में विधिनुसार निर्णित करें। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	